

(x) Need to implement the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 in letter and spirit

श्री. परमान सिंह कुलरते (मंडला): वन अधिकार कानून, 2006 के तहत वनों में रहने वाले नागरिकों को पट्टा दिए जाने का प्रावधान किया गया था परन्तु अभी तक सम्पूर्ण देश में इस कानून का पालन नहीं किया गया है। इसके कारण कई प्रदेशों में अभी भी लोग पट्टे प्राप्त करने हेतु भटक रहे हैं।

दूसरा, वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तन करने का प्रावधान शासन ने किया है लेकिन परिवर्तन नहीं होने के कारण वनग्रामों में अभी भी विकास के कार्य अटके पड़े हैं, साथ ही सामूहिक एवं व्यक्तिगत दावों के प्रकरण भी भारी मात्रा में लम्बित हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस समस्या का निराकरण करने हेतु समय सीमा निश्चित करने के आदेश दिए जाएं।

DS (FRD)

को चीकरी
22/6/16

Prof. Dr. K. K. Singh
from State Council
[अ.सं. (समा. आर.सं.)]

5/007/DS(R)
26/6/16